प्रेस – नोट

जिला विधिक सहायता अधिकारी पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा 10 मई , 2009

मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा **"जिला विधिक सहायता अधिकारी"** पद हेतु मुख्य लिखित परीक्षा **रविवार दिनांक 10 मई, 2009 को "शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य (स्वशासी) महाविद्यालय सिविल लाईन्स, जबलपुर"** में दो चरणों में **प्रातः 10.00 से 1.00 बजे दोपहर तक तथा द्वितीय चरण** दोपहर **2.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक आयोजित की गई है ।**

सभी पात्र अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रवेश पत्र जारी किये जा चुके है । जिन स्थानीय अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) प्राप्त नही हुए हैं वे **दिनांक 08** मई ,2009 (शुक्रवार) को **प्रातः 11.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक** 574, साउथ सिविल लाइन्स जबलपुर स्थित मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय में **पासपोर्ट** साइज स्वयं का फोटो, अपने **पहचान संबंधी दस्तावेज जैसे कि पहचान पत्र, ड्राइविंग** लाइसेंस, मतदाता **परिचय पत्र इत्यादि** के साथ उपस्थित होकर प्रवेश पत्र (एडमिट कार्ड) की द्वितीय प्रति प्राप्त कर सकते हैं ।

जबलपुर के बाहर से आने वाले अभ्यर्थी जिन्हे प्रवेश पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं तो वह अपने हाल के पासपोर्ट फोटो एवं पहचान पत्र ड्राईविंग लायसेन्स ,मतदाता परिचय पत्र, राज्य अधिवक्ता परिषद द्वारा जारी पहचान पत्र आदि साथ में लेकर "शासकीय महाकौशल कला एवं वाणिज्य (स्वशासी) महाविद्यालय (राबर्टसन कालेज), सिविल लाईन्स, जबलपुर" में **परीक्षा दिनांक को प्रातः 9.30 बजे उपस्थित होकर** प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति प्राप्त करने हेतु आवेदन कर सकते हैं । आवश्यक जांच उपरान्त उन्हे प्रवेश पत्र की द्वितीय प्रति जारी की जायेगी । **यह कार्यवाही परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनिट तक अर्थात 10.15 बजे तक ही होगी ।**

बिना प्रवेश पत्र के परीक्षा के अंदर प्रवेश वर्जित होगा । सभी अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र में नियत समय पर उपस्थित होवें । **प्रथम चरण में 10.15 बजे के बाद तथा द्वितीय चरण में समय 02.15 के बाद किसी भी अभ्यार्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश** नहीं दिया जावेगा ।

सभी अभ्यार्थियों से आग्रह है कि वे अपने **मोबाइल, केलकुलेटर** इत्यादि न लावे अन्यथा ऐसे सामान की गुम जाने की जबावदारी स्वयं अभ्यार्थी की होगी ।

(एस0 के0 पालो)
सदस्य सचिव